<u>संघ लोक सेवा आयोग</u>

<u>नाम एवं फोटो पहचान पत्र परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण नोटिस</u>

<u>सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019</u>

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 के आवेदन पत्र में उम्मीदवारों को अपना वही नाम भरना है जो उनके विद्यालय छोड़ने संबंधी बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र पर अंकित है। उम्मीदवारों द्वारा भरा गया यही नाम उनके ई-प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। उम्मीदवारों को, सरकार द्वारा जारी किए गए उनके फोटो पहचान पत्र की स्कैन की गई प्रति भी अपलोड करनी होगी। अपेक्षानुसार, उम्मीदवार को, परीक्षा देने हेतु अपने ई-प्रवेश पत्र के साथ-साथ उक्त फोटो पहचान पत्र भी साथ लाना होगा।

2. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 में बैठने के संबंध में आयोग को ऐसे उम्मीदवारों से सवाल प्राप्त हो रहे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद, विधिवत रूप से, जैसे राजपत्र अधिसूचना आदि के माध्यम से, अपना नाम परिवर्तित किया है और इस परिवर्तित नाम से ही सरकार द्वारा जारी किया गया मान्य फोटो पहचान पत्र प्राप्त किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विद्यालय छोड़ने संबंधी बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र पर इन उम्मीदवारों के नाम अलग-अलग हैं।

3. इस मामले में, ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उम्मीदवार उक्त परीक्षा (प्रत्येक सत्र) हेतु अपनी सुविधा के लिए ई-प्रवेश पत्र के साथ-साथ सराकर द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र और परिवर्तित नाम के संबंध में राजपत्र अधिसूचना की मूल प्रति, अनिवार्य रूप से अपने साथ लाएं। कृप्या यह भी नोट करें कि राजपत्र अधिसूचना में अंकित नाम और सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र पर अंकित नाम एक ही होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के समय एक वचनबंध (undertaking) भी प्रस्तुत करना होगा।

****